



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1276) पटना, वृहस्पतिवार, 24 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2025

सं० वि०स०वि०-14/2025-3155/वि०स०-“बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-23 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-11/2025]

बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025

राज्य में पशुओं की उत्पादकता एवं अन्य विशेषताओं या लक्षणों में सुधार हेतु बिहार प्रजनन नीति के अनुसार पशुओं में प्रजनन के उपयोग सहित पशुओं में सीमेन और भ्रूण का उत्पादन, भंडारण, विक्रय और वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और उससे संबंधित मामलों के लिए पशुओं में प्रजनन संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक।

जबकि राज्य में पशुओं के प्रजनन के विनियमन तथा इससे संबंधित विषयों या इसके आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करना समीचीन है ;

इसलिए, अब यह भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "सलाहकार समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (ख) "ए०एफ०आर०डी०" से तात्पर्य है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना;
- (ग) "पशु" से अभिप्रेत है बिहार पशु प्रजनन नीति में शामिल पशु एवं पक्षी;
- (घ) "अपीलीय प्राधिकार" पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के पदेन अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव होंगे;
- (ङ) "कृत्रिम गर्भाधान" अथवा "ए आई" से अभिप्रेत है गर्भवती करने के उद्देश्य से परिपक्व मादा के गर्भाशय में सीमेन के निक्षेपण की प्रक्रिया;
- (च) "कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है ऐसे प्रतिष्ठान, परिसिमित दायित्व भागीदारी (एल० एल० पी०), संयुक्त उद्यम, संस्था, निर्माता संस्थान, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक (ब्रीडर) संघ, न्यास, राज्य सरकार का विभाग या सहकारी समिति, पशुधन विकास अभिकरण, जो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करते हों;
- (छ) "कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन" (ए०आई०टी०) से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यताएँ हों।
- (ज) "प्रजनन" से अभिप्रेत है पशुओं में प्रजनन गतिविधियाँ, जिसमें सीमेन और भ्रूण के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए किसी भी पशु का उपयोग और पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान / भ्रूण प्रत्यारोपण सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।
- (झ) "प्रजनन नीति" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी या किसी अन्य पशुओं की विभिन्न नस्लों के रख रखाव और विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचित राज्य नीति से है।
- (ञ) "प्रमाणित पशु" से अभिप्रेत है एक पशु जो सीमेन और भ्रूण उत्पादन के लिए निर्धारित मानक और विनिर्देशों को पूरा करना और समय-समय पर केंद्रीय/सक्षम प्राधिकार द्वारा सीमेन और भ्रूण उत्पादन के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल होना।
- (ट) "केंद्रीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम में उल्लेखित प्रजनन गतिविधियों को विनियमित/निगरानी करने और सलाह देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकार।
- (ठ) "भ्रूण" से अभिप्रेत है नर पशु के शुक्राणु और मादा पशु के अंडाणु के संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित संरचना।
- (ड) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत है ऐसे विशेषज्ञ जो प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- (ढ) "आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम" से अभिप्रेत है, एक ऐसा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले पशुओं को माता-पिता के रूप में उपयोग करके पशुओं के भावी पीढ़ी में दुग्ध/मास उत्पादन या किसी वांछित विशेषता के लिए उनके आनुवांशिक क्षमताओं में सुधार करने के लिए कार्यक्रम।

- (ण) "भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, ऐसे परिसर जहाँ अंडाणु और भ्रूणों के संग्रहण, प्रसंस्करण, भ्रूण उत्पादन, भंडारण और गोजातीय भ्रूणों या किसी अन्य पशु के भ्रूणों के स्थानांतरण के लिए सुविधा स्थापित की गई हो।
- (त) "स्थान" से अभिप्रेत है कोई भूमि, परिसर, अहाता, भवन या पात्र या वाहन या कोई अन्य स्थान, जिसका उपयोग सीमेन और भ्रूण उत्पादन, भंडारण और/या पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण प्रत्यारोपण सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता हो;
- (थ) "निर्धारित मानक" से अभिप्रेत है गोजातीय और अन्य पशुओं के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल केंद्रीय/राज्यकीय/सक्षम प्राधिकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा और पंजीकरण प्रमाण प्राप्तकर्ता द्वारा इसका पालन किया जाएगा।
- (द) "पंजीकरण प्राधिकार" इस अधिनियम की धारा 3 के परियोजना निदेशक, बिहार पशुधन विकास अभिकरण, पटना, बिहार पंजीकरण प्राधिकार होंगे जो इस अधिनियम के तहत सीमेन स्टेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों को पंजीकरण का प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे।
- (ध) "पंजीकृत पशु चिकित्सक" से अभिप्रेत है पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक जो पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अधीन पंजीकृत हो।
- (न) "सीमेन" से अभिप्रेत है किसी भी रूप में बिहार प्रजनन नीति में शामिल मवेशी साढ़ें/भैंसा साढ़ें/नर भेड़/नर बकरी/नर सुअर/मुर्गा या किसी अन्य पशु/पशुओं का सीमेन/सेक्सड सीमेन।
- (प) "सीमेन बैंक" से अभिप्रेत है एक ऐसा परिसर जहाँ गोजातीय सीमेन या किसी अन्य पशु/पक्षी के सीमेन का भंडारण और वितरण के लिए सुविधा स्थापित हो;
- (फ) "राज्य प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित प्राधिकरण।
- (ब) "सीमेन स्टेशन" से अभिप्रेत है एक ऐसा परिसर जहाँ गोजातीय सीमेन या किसी अन्य पशु के सीमेन का उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधा स्थापित।

अध्याय II

प्रशासन एवं प्रवर्तन

3. पंजीकरण प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व।—

- (i) परियोजना निदेशक, बिहार पशुधन विकास अभिकरण, पटना, बिहार इस अधिनियम के अधीन सीमेन स्टेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के पदेन पंजीकरण प्राधिकार होंगे। पंजीकरण प्राधिकार अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन देंगे।
- (ii) पंजीकरण प्राधिकार अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे एवं सलाहकार समिति के परामर्श से सीमेन स्टेशनों/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित परिसरों की जाँच या निरीक्षण के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का दल गठित करेंगे, जिन्हें गोजातीय प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, सीमेन स्टेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण गतिविधियों, पशुपालन, पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का सुसंगत व्यावसायिक अनुभव हो तथा इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संस्थाओं में नियोजित हों।
- (iii) सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाताओं के जाँच/निरीक्षण के पश्चात् विशेषज्ञ दल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पंजीकरण प्राधिकार को सीमेन स्टेशनों/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला और कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु एक प्रतिवेदन समर्पित करेगा।
- (iv) विशेषज्ञ दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में संस्थान को पंजीकरण के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में, पंजीकरण प्राधिकार द्वारा पंजीकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिये समर्पित प्रतिवेदन की जाँच की जाएगी। अस्वीकृति के कारण से आवेदक संस्थान को भी संसूचित किया जाएगा।
- (v) पंजीकरण की प्रक्रिया (आवेदन देने की तिथि से) 90 दिनों के अवधि के भीतर पूरी की जाएगी या अधिक से अधिक 120 दिन, अन्यथा नई प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
- (vi) बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम, 2025 के अनुश्रवण और कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण प्राधिकार उत्तरदायी होगा तथा सलाहकार समिति को प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

(vii) बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 का जिला स्तर पर अनुश्रवण बिहार के जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. बिहार पशु प्रजनन सलाहकार समिति।—

(i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित करेगी जो बिहार पशु प्रजनन सलाहकार समिति कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- क. निदेशक, पशुपालन, बिहार
- ख. प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना
- ग. निदेशक डेयरी, बिहार,
- घ. विभागाध्यक्ष, पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र एवं प्रसूति विज्ञान विभाग, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना,
- ङ. विभागाध्यक्ष, पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना,
- च. महाप्रबंधक, पूर्णियाँ सीमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ,
- छ. सदस्य सचिव के रूप में विशेष उपनिदेशक, फ्रोजेन सीमेन बैंक—सह—बुल स्टेशन, पटना, बिहार।

सलाहकार समिति के सदस्य पशु प्रजनन, सीमेन/भ्रूण उत्पादन और वितरण के विभिन्न पहलुओं का अनुभव रखने वाले किसी एक विषय विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में अंगीकृत कर सकेंगे।

(ii) सलाहकार समिति को नियुक्त करने के संदर्भ में वही शर्तें लागू होंगी, जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।

(iii) सलाहकार समिति, पंजीकरण प्राधिकार/राज्य सरकार को सलाह देगी एवं पंजीकरण प्राधिकार द्वारा समर्पित विषयों को निष्पादित करने के लिए समय-समय पर बैठक करेगी। सलाहकार समिति सुनिश्चित करेगी कि पशु एवं डेयरी विभाग (डी0ए0एच0डी0)/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन0डी0डी0बी0) द्वारा, प्रजनक साँढ़, एवं अन्य पशु, सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, सीमेन/भ्रूण के भंडारण एवं वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निर्धारित करने तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, योग्यता और अनुभव को विहित करने और प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का पालन हो।

5. अनुसूचियों / परिशिष्ट / पंजीकरण शुल्क को उपांतरित करने की शक्ति।—

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी विषय के होते हुए भी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, को बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूचियों/परिशिष्ट/पंजीकरण शुल्क को उपांतरित करने की शक्ति होगी। यह प्रावधान बनाए गए नियमों के अधीन ही होगी।

6. निरीक्षण, जाँच और अभिग्रहण की शक्ति।—

(क) पंजीकरण प्राधिकार अथवा पंजीकरण प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या विशेषज्ञों का दल, पंजीकरण के नियम एवं शर्तों तथा इस अधिनियम के किसी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से :—

- i. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला अथवा सीमेन बैंक अथवा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के किसी व्यवसायिक स्थान या परिसर में प्रवेश, निरीक्षण तथा जाँच कर सकेगा जिसमें इस आशय का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन निर्गत पंजीकरण के शर्तों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है;
- ii. किसी सीमेन स्टेशन या सीमेन बैंक या कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के परिसर से सीमेन उत्पादन या सीमेन भंडारण या कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में प्रयुक्त सीमेन/भ्रूण या किसी अन्य सामग्री का नमूना एकत्र कर सकेगा और पंजीकरण प्राधिकार, प्राधिकृत प्रयोगशाला से ऐसे नमूने को विश्लेषित करा सकेगा तथा परिसर से ऐसे साँढ़ों/गोजातीय पशुओं को भी अभिग्रहित करेगा जो सीमेन/भ्रूण उत्पादन के लिए विधिवत् रूप से प्रमाणित न हो; अथवा ऐसी अन्य जाँच कर सकेगा जो अपेक्षित हो, एवं ऐसे परिसरों में पंजीकरण प्रमाण—पत्र धारकों तथा अन्य कार्यरत व्यक्तियों से कथन ले सकेगा और उसके अभिलेखों की जाँच कर सकेगा;

- (ख) जहाँ तक हो सके, जाँच और अधिग्रहण से संबंधित भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध उपधारा 6 (क) (i) और (ii) के प्रावधान तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।
- (ग) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक जिसमें प्रमाणित कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन शामिल हैं, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में पंजीकरण प्राधिकार द्वारा निर्गत किसी निदेश या आदेश से आबद्ध होगा और ऐसे निदेश या आदेश का अनुपालन करेगा तथा इस तरह के निदेश या आदेश के अनुपालन में उसकी ओर से विफल होने पर इस अधिनियम का उल्लंघन समझा जाएगा।
- (घ) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा हस्ताक्षरित और निर्गत कोई दस्तावेज जो प्रतिवेदन होने के लिए तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों में कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।
- (ङ) सभी स्थानीय प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार पंजीकरण प्राधिकार को ऐसी सहायता एवं मदद प्रदान करेंगे और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेंगे जो उसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तथा निरीक्षण और जाँच के लिए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे।
- (च) पंजीकरण प्राधिकार आवश्यकतानुसार अपनी निधियों या क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, विवरणी, आँकड़े एवं अन्य सूचना समय-समय पर सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
- (छ) किसी विषय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकार सशक्त है, के संबंध में किसी व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा कि कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण कर सके।
- (ज) पंजीकरण प्राधिकार, प्राधिकार के किसी पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध, किसी भी कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं चलायी जायेंगी जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या दिए गए आदेश के अनुसरण में किसी विषय के संबंध में सद्भावपूर्वक की गयी है अथवा किये जाने हेतु आशयित हो।
- (झ) सरकार सीधे अथवा अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम की इस धारा 3, तथा 6 से भिन्न धाराओं के अधीन उनके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या कुछ शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (ञ) जब कभी सक्षम प्राधिकार द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है तो वह व्यक्ति जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गयी हो, सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।
- (ट) सरकार द्वारा, प्राधिकार का शक्ति प्रदत्त कोई सदस्य या पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय या किसी कर्तव्य का निष्पादन करते समय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 21 के अन्तर्गत एक "लोक सेवक" समझा जाएगा।
- (ठ) इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, बिहार सरकार के राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन हो।
- (ड) सरकार इस अधिनियम के किसी अथवा सभी प्रयोजनों (उद्देश्यों) को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी:-
- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे और जबतक कि वे किसी विशेष दिन से प्रभावी होने के लिए अभिव्यक्त न हों, उस दिन से प्रभावी होंगे, जिस दिन वे प्रकाशित किए गए हो।
 - इस अधिनियम के तहत निर्गत सभी अधिसूचनाएँ, जबतक कि किसी विशेष दिन से प्रभावी होने के लिए अभिव्यक्त न हों, उस दिन से प्रभावी होंगे जिस दिन वे प्रकाशित किए गए हैं।
- (ढ) इस अधिनियम के अधीन बना प्रत्येक नियम, निर्गत प्रत्येक अधिसूचना या आदेश, इसके बनने या निर्गत होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और यदि सत्र जिसमें यह रखा जाता है, की समाप्ति के पूर्व या अगले सत्र में विधान सभा ऐसे किसी नियम, अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करती है या विधान सभा निर्णय लेती है कि नियम, अधिसूचना या आदेश नहीं बनाया या निर्गत किया जाना चाहिए तो इसके पश्चात् नियम, अधिसूचना या आदेश केवल परिवर्तित रूप से प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई परिवर्तन या विलोपीकरण इस नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन पूर्व में की गयी किसी भी विषय की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. अभिलेखों का अनुरक्षण एवं विवरणियों का प्रस्तुतिकरण।—

- i. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक अपने व्यवसाय से संबंधित बही, लेखा एवं अभिलेख ऐसे प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा जो पंजीकरण प्राधिकार द्वारा इस निमित्त विहित किए गए हों।
- ii. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक द्वारा प्रयुक्त सॉटों एवं उत्पादित सीमेन स्ट्र/भ्रूणों की संख्या का अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन/विवरणी दो प्रतियों में समर्पित किया जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के रूप में प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक द्वारा कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की संख्या और किए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या/ भ्रूण प्रत्यारोपण की संख्या का मासिक प्रतिवेदन/विवरणी दो प्रतियों में समर्पित किया जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक द्वारा पंजीकृत पशु चिकित्सकों, जिनके पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण दिया गया था, के नाम की सूची के साथ प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की दो प्रतियों में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन/विवरणी समर्पित किया जाएगा। प्रतिवेदन हेतु संबंधित प्रपत्र पंजीकरण प्राधिकार के पास उपलब्ध होंगे।

8. दण्ड।—

(i) बिना पंजीकरण के कार्य करना:—

- क. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के लिए—यदि कोई भी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, पंजीकरण प्राधिकार के माध्यम से पंजीकृत नहीं होता है या बिना पंजीकरण के कार्य करता है, तो उसे निम्न दिए गए जुर्माने से दंडित किया जाएगा:—
 - i. सीमेन स्टेशन— रूपये 15 (पंद्रह) लाख मात्र।
 - ii. व्यावसायिक रूप से भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला— रूपये 05 (पाँच) लाख मात्र।
 - iii. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता— रूपये 10 (दस) लाख मात्र।
 - iv. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान—रूपये 05 (पाँच) लाख मात्र।
- ख. बिना पंजीकरण काम करने वाले कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए यदि कोई कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन किसी भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के पास खुद को पंजीकृत किए बिना कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करता है तो इस अधिनियम के तहत उसे रूपये 15 (पंद्रह) हजार मात्र के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

(ii) पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति— उपरोक्त धारा 8 में उल्लेखित पंजीकृत सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला/कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता/कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए तीन महीने की छूट अवधि दी जाएगी। यदि उल्लेखित संस्थाएँ छूट अवधि के भीतर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करती हैं, तो वे निम्न वर्णित विलंब जुर्माना जिसकी अवधि पंजीकरण की समाप्ति के बाद तीन महीने से लेकर छह महीने के भीतर है, भुगतान के बाद ही अपना पंजीकरण नवीनीकृत कर सकती हैं।

- i. सीमेन स्टेशन—रूपये 5,000 /— (पाँच हजार) मात्र
 - ii. व्यावसायिक रूप से क्रियात्मक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला—रूपये 5,000—/ (पाँच हजार) मात्र
 - iii. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता— रूपये 4,000—/ (चार हजार) मात्र।
 - iv. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान—रूपये 4,000—/ (चार हजार) मात्र।
 - v. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन— रूपये 500 /— (पाँच सौ) मात्र।
- प्रमाण-पत्र की समाप्ति के छह महीने बाद उन्हें बिना पंजीकरण के काम करते हुए माना जाएगा और तदनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(iii) नियमों का उल्लंघन— कोई भी इकाई जिसे इस अधिनियम के अध्याय III के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है और उसने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या निर्धारित किसी भी मानक का उल्लंघन किया है, तो उसे निम्नलिखित जुर्माने से दंडित किया जाएगा:—

- i. सीमेन स्टेशन—रूपये 5,00,000 /— (पाँच लाख) मात्र।
- ii. व्यावसायिक रूप से क्रियात्मक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला—रूपये 2,00,000 /— (दो लाख) मात्र।
- iii. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता—रूपये 4,00,000 /— (चार लाख) मात्र।
- iv. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान—रूपये 2,00,000 /— (दो लाख) मात्र।
- v. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन—रूपये 5,000 /— (पाँच हजार) मात्र।

अध्याय-III

सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण

9. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का पंजीकरण।-

- I. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान, परिसीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी), कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति, पशुधन विकास बोर्ड/एजेंसी या राज्य सरकार के विभाग, पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन स्ट्रा/भ्रूणों के उत्पादन हेतु सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला स्थापित और संचालित नहीं करेगा।
- II. पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रपत्र 'क' में प्रत्येक निजी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की 2 (दो) वर्षों की वैधता के साथ पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क रु 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र तथा प्रत्येक 2 (दो) वर्षों की वैधता के साथ नवीकरण के लिए रु 10,000/- (दस हजार) मात्र होगी बशर्ते की सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की ग्रेडिंग ग्रेड-ए या ग्रेड-बी से कम ना हों। सरकारी (या योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तपोषित) सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पंजीकरण शुल्क के भुगतान से मुक्त है।
- III. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, सीमेन उत्पादन/ भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए, पंजीकरण की स्वीकृति हेतु पंजीकरण प्राधिकार को आवेदन करेंगे।
- IV. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई भी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, किसी भी साढ़/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु से सीमेन/भ्रूण का उत्पादन नहीं करेगा सिवाय उन पशुओं के जो भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानक या पंजीकरण प्राधिकार द्वारा समय समय पर तय किए गए मानक के अनुरूप है।
- V. धारा 9(ii) के अधीन पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्राधिकार को प्रपत्र "क" में विहित शुल्क के साथ किया जाएगा।
- VI. जब किसी नये सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण प्राप्त करने का आवेदन प्राधिकार को किया जाता है तो पंजीकरण प्राधिकार अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र का निर्गमन लंबित रहने तक नये सीमेन स्टेशन को स्थापित करने के लिए लिखित में अस्थायी रूप से अनुमति दे सकेगा। ऐसी अस्थायी अनुमति इसके निर्गत होने की तिथि से 24 माह तक के लिए वैध होगी, जिसमें आवेदक आवश्यकताओं के अनुपालन को दिखाने के लिए पंजीकरण प्राधिकार के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा। आवेदक अपने नियंत्रण से परे कारणों की दशा में उसे उल्लेखित करते हुए अस्थायी अनुमति की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा। पंजीकरण प्राधिकार (विलंब के कारणों के सत्यापन होने पर) छह माह तक की अवधि के विस्तार की अनुमति दे सकेगा। सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना और निर्धारित मानक (पंजीकरण प्राधिकार से समय समय पर प्राप्त/जारी किया जा सकता है) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किए जाने तक और सक्षम प्राधिकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुपालन किए जाने तक, वाणिज्यिक रूप से संचालित नहीं होगा।
- VII. जब किसी मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण प्राप्त करने का आवेदन पंजीकरण प्राधिकार को किया जाता है तो पंजीकरण प्राधिकार अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गमन लंबित रहने तक सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को संचालित करने के लिए लिखित में अस्थायी रूप से अनुमति दे सकेगा बशर्ते कि निर्धारित मानक में निर्दिष्ट जाँच नकारात्मक न हो। ऐसी अस्थायी अनुमति इसके निर्गत होने की तिथि से 12 माह तक के लिए वैध होगी जिसमें आवेदक जो अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करेगा।
- VIII. नये सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला या मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण की स्वीकृति हेतु निरीक्षण का अनुरोध प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकार ऐसे निरीक्षण/जाँच के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजेगा और संतोष जनक निरीक्षण प्रतिवेदन के बाद, निर्धारित मानक एवं सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद इसे जारी कर सकता है।

नये सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला या मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को स्टेशन/प्रयोगशाला के नाम और पता, पंजीकरण संख्या, सीमेन उत्पादन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए प्रयुक्त साँड़ों की अलग-अलग पहचान संख्या,

सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हेतु उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो प्रपत्र-ख के अनुसार उचित समझे जायें, को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कर पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत करेगा। किसी साँढ़ को स्वीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके जीवन में कभी भी रद्द किया जाएगा, यदि वह निर्धारित मानक के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता हो।

- IX. किसी भी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र 2 (दो) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा या समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी आदेश/लिए गए निर्णय, के अनुसार होगा। सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के कम से कम 3 (तीन) माह पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु प्राधिकार को आवेदन करेगा। पंजीकरण प्राधिकार यह संतुष्ट होने के पश्चात् कि निर्धारित मानक के अनुसार निर्गत पंजीकरण की शर्तों का पालन किया गया है, तो वह आवेदक द्वारा आवेदन करने की तिथि के तीन माह के अन्दर पंजीकरण का नवीकरण अगले दो वर्षों के लिए करेगा। सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला में नये साँढ़/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु, जो सीमेन उत्पादन के मानकों को पूरा करते हों, को शामिल करने के पूर्व ऐसे साँढ़/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु के ब्योरे संगठन में उनके शामिल करने के एक माह पूर्व प्रपत्र-‘ज’ में पंजीकरण प्राधिकार को अनुमोदन के लिए संसूचित किया जाएगा। यदि एक माह के अन्दर अनुमोदन नहीं प्राप्त हो तो यह अन्यथा संसूचित होने तक अनुमोदित समझा जाएगा।
- X. पंजीकरण प्राधिकार आवेदक को सुने जाने का अवसर देने एवं लिखित में कारणों को दर्ज करने के पश्चात् पंजीकरण को स्वीकृत या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- XI. जब कभी वांछित हो, पंजीकरण प्राधिकार निर्धारित मानक के अनुसार पंजीकरण प्रमाण-पत्र के शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इच्छानुसार अथवा वर्ष में कम से कम एक बार विशेषज्ञों का एक दल निरीक्षण हेतु सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भेजेगा।
- XII. शोध और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ शोध संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित सीमेन/भ्रूण उत्पादन सुविधा/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने की बाध्यता से छूट होगी। ऐसे सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, सीमेन का व्यापार नहीं करेंगे अथवा व्यवसायिक रूप से कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करेंगे जब तक की इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकार से अनुमति प्राप्त न कर लें।

10. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण।-

- I. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से पशुधन विकास बोर्ड/एजेंसी या राज्य का पशुपालन विभाग को छोड़ पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, परिसीमित दायित्व भागीदारी (एल0 एल0 पी0), कंपनी, संस्था, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक संघ, न्यास, सहकारी समिति, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान नहीं करेगा।
- II. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को तभी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी जब वे पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के अधीन कार्यरत हों। किसी व्यक्ति/निजी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- III. मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से तीन माह के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकरण की स्वीकृति हेतु पंजीकरण प्राधिकार को आवेदन करेगा।
- IV. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के पंजीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन विहित शुल्क के साथ पंजीकरण प्राधिकार को किया जाएगा। पाँच (5) वर्ष की वैधता के साथ पंजीकरण का विहित शुल्क रु 20,000/- (बीस हजार) मात्र तथा पाँच (5) वर्ष की वैधता के साथ नवीनीकरण का विहित शुल्क रु 10,000/- (दस हजार) मात्र होगी।
- V. उपधारा 10(iii) और 10(iv) के अधीन पंजीकरण/नवीनीकरण का प्रत्येक आवेदन प्रपत्र “ग” में विहित शुल्क के साथ पंजीकरण प्राधिकार को किया जाएगा।
- VI. पंजीकरण की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर पंजीकरण प्राधिकार स्वयं द्वारा गठित विशेषज्ञों का एक दल जाँच/निरीक्षण के लिए भेजेगा और अपनी संतुष्टि के पश्चात् कि कृत्रिम सेवा प्रदाता :-
(क) सीमेन/भ्रूण की प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण करने की व्यवस्था कर ली है जो निर्धारित मानक में अधिकथित है।

- (ख) अधिनियम के अधीन पंजीकृत भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला/सी0एम0यू0 द्वारा प्रत्यायित श्रेणी "ए" या "बी" के सीमेन स्टेशन के प्रमाणित सांड/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु से ही भ्रूण/सीमेन प्राप्त करता है और राज्य प्रजनन नीति का अनुसरण करता है।
- (ग) कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए राज्य के बाहर उत्पादित सीमेन का न आयात करता है, न वितरण करता है, न प्रदान करता हो, सिवाय इसके कि सीमेन स्ट्रा ऐसे सीमेन स्टेशन में उत्पादित हो जो भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डी0ए0एच0डी0) के नवीनतम रेटिंग के अनुसार "ए" या "बी" में श्रेणीबद्ध हो एवं ऐसी विधि और ऐसी शर्तों के तहत प्राधिकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो, जो विहित किया जा सके।
- (घ) सिवाय प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी विधि और ऐसी शर्तों के अधीन स्वीकृत हो, अन्य राज्यों/देश से बिहार राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन/भ्रूण का आयात/अंतरण नहीं करता है बशर्ते कि उपरोक्त शर्तों के अधीन निर्धारित किया जा सके।
- (ङ) वैसे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को नियोजित किया गया हो, जो कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा यथाविहित योग्यता और अनुभव रखता हो और जो उनकी ओर से कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करता हो तथा पंजीकरण प्राधिकार द्वारा यथाविहित अभिलेख संधारित करता हो;
- (च) राज्य सरकार की अनुमोदित प्रजनन नीति के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करता है;
- (छ) कृत्रिम गर्भाधान प्रदाता द्वारा नियोजित किसी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के अलावा या पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र नहीं रखने वाले अन्य कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता को सीमेन की आपूर्ति नहीं करता है, और
- (ज) पंजीकरण प्राधिकार के पास उपलब्ध निर्धारित मानक में अधिकथित मार्गदर्शिका के अनुरूप है। पंजीकरण प्राधिकार कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा जिसमें सेवा प्रदाता का नाम और पता, पंजीयन संख्या, सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित जवाबदेह पदाधिकारी का नाम और ऐसे अन्य नियम एवं शर्तें, जो प्रपत्र घ के अनुसार उचित समझा जाय, स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगी।
- VII. पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व किया जाएगा। पंजीकरण प्राधिकार यह संतुष्ट होने के पश्चात् कि निर्धारित मानक के अनुरूप पंजीकरण की शर्तों का पालन किया गया है, आवेदक द्वारा आवेदन करने की तिथि से तीन माह के अन्दर अगले पाँच वर्षों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा।
- VIII. आवेदक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् पंजीकरण प्राधिकार कारणों को लिखित में दर्ज कर पंजीकरण को स्वीकृत करने या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- IX. पंजीकरण प्राधिकार जब कभी वांछित हो सीमेन की प्राप्ति, भंडारण और वितरण की सुविधा/व्यवस्था, सीमेन के क्रय और एवं प्रयोग संबंधी अभिलेख, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के कार्य की वर्ष में कम से कम एक बार जाँच करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेज सकेगा ताकि निर्धारित मानक के अनुसार निर्गत पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- X. पंजीकरण प्राधिकार कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से इस आशय का वचन/शपथपत्र ले सकेगा कि वह पूरी तरह से दिशा-निर्देशों का पालन करेगा तथा सीमेन के क्रय करने स्रोत तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों द्वारा सीमेन प्राप्त कर (मासिक प्रतिवेदन) किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान की संख्या से संबंधित सूचना प्रदान करने से आबद्ध होगा।

11. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों का पंजीकरण।—

इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का कार्य नहीं करेगा एवं किसी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के लिए अपनी सेवा प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह :-

- किसी मान्यता प्राप्त कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों से विहित प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया हो;
- इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान/ कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता/ सीमेन स्टेशन के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकार को प्रपत्र "ङ" में योग्यता और अनुभव (यदि कोई हो) के सहायक दस्तावेजों और रूपये 1000/- (एक हजार) मात्र की पंजीकरण शुल्क वैधता 5 (पाँच) वर्ष

के साथ जिसे रूपये 500/- (पाँच सौ) मात्र की राशि में नवीनीकरण किया जा सकेगा, आवेदन करना होगा।

- (iii) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता अपने साथ संलग्न अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक वचनबद्ध-सह-शपथपत्र प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राधिकार के माध्यम से उनके अधीन काम करने वाले सभी अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन औपबन्धिक पंजीकरण प्राप्त करना होगा। यदि कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता दिए गए समय सीमा के भीतर अपने अधीन काम करने वाले सभी अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को उल्लेखित प्रशिक्षण प्राप्त करने में विफल रहता है, तो कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता ऐसे अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को कोई सहायता (सीमेन या तरल नाईट्रोजन आदि) प्रदान नहीं करेगा।
- (iv) इस अधिनियम के तहत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन अपने कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता को, जिसके माध्यम से वे पंजीकृत हैं, राज्य में किसी अन्य पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के साथ कार्य करने के लिए, पंजीकरण प्राधिकार को रूपये 500/- (पाँच सौ) मात्र पंजीकरण शुल्क (प्रपत्र-ड) का भुगतान कर, बदलने के लिए पात्र होंगे।
- (v) पंजीकृत पशु चिकित्सक और पशुपालन विभाग, बिहार सरकार के अधीन कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, को कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए प्रमाणपत्र रखने की बाध्यता से छूट होगी।

कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश के अनुसार तथा राज्य प्रजनन नीति के उपबंधों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्य करेंगे और कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या सीमेन स्टेशन को विहित प्रपत्र में आवश्यक सूचना उपलब्ध करायेंगे जहाँ वो पंजीकृत है, इसमें विफल होने पर उनका पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा जब तक आवश्यक सुधार न कर दिये जाये।

12. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान ।-

- i. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान, परिसीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी, कंपनी), संस्थान, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक संघ, न्यास, सहकारी समिति, पशुधन विकास बोर्ड/अभिकरण या राज्य/केन्द्र सरकार का विभाग पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान सेवा में प्रशिक्षण नहीं देगा।
- ii. विद्यमान/नए कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से तीन माह के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण देने के लिए पंजीकरण की स्वीकृति हेतु पंजीकरण प्राधिकार को आवेदन करेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं को इस बाध्यता के साथ अधिकतम छह माह तक प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाएगी कि प्रशिक्षण संस्थाओं के पंजीकरण के पश्चात् प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा सकेंगे।
- iii. उपधारा (i) और (ii) के अधीन पंजीकरण/नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्राधिकार को विहित शुल्क के साथ प्रपत्र "छ" में किया जाएगा। तीन (3) वर्ष की वैधता के साथ पंजीकरण का विहित शुल्क रु 20,000/- (बीस हजार) मात्र तथा प्रत्येक 3 वर्ष पर तीन (3) वर्ष की वैधता के साथ नवीनीकरण का विहित शुल्क रु 10,000/- (दस हजार) मात्र होगा। पशुधन विकास बोर्ड/ अभिकरण या राज्य/ केन्द्र सरकार के विभाग को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
- iv. पंजीकरण की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकार जाँच/निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजेगा और यह संतुष्ट करने के पश्चात् कि कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था :-
 - (क) सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा यथा अनुमोदित एवं उपांतरित मानक पाठ्यक्रम और अवधि का अनुपालन करता है;
 - (ख) शिक्षण सामग्री के साथ कक्षाओं की व्यवस्था एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए जीवित पशुओं के (पाँच प्रशिक्षणार्थी हेतु एक पशु) प्रजनन अंगों का बाह्य एवं अंतर्स्पर्श हेतु एवं निर्धारित मानक में अधिकथित कृत्रिम गर्भाधान करने की व्यवस्था रखता है;
 - (ग) कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता संस्थान के पास अपने प्रशिक्षणार्थियों को पंजीकरण प्राधिकार द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर

- चुका हो और ए0आई0 गन को प्रजनन अंगों में तकनीकी रूप से प्रवेश कराने की योग्यता के लिये संबंधित पशु चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;
- (घ) निबंधित पशु चिकित्सक, जिसके पर्यवेक्षण में संस्थान में प्रशिक्षण देता है;
- (ङ) प्रशिक्षण केन्द्र केवल विज्ञान संकाय में बारहवीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन कर सकेगा; तथापि मैत्री (MAITRI) कार्यान्वित करने वाले संगठन बारहवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन करने का प्रयास करेंगे तथा यदि भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के दशा में दसवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु छूट दे सकेंगे;
- (च) प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता, पंजीकरण संख्या, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नियोजित जवाबदेह पदाधिकारी का नाम और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो प्रपत्र-“ज” के अनुसार उचित प्रतीत हो, को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करके कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा।
- v. पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के 3 (तीन) माह पूर्व किया जाएगा। पंजीकरण प्राधिकार इस आशय का समाधान करने के पश्चात् कि निर्धारित मानक के अनुरूप निर्गत पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन किया गया है, आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर अगले तीन वर्षों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण करेगा।
- vi. पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों, जिनके पास कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए विहित योग्यता नहीं है, के कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है और वे सही पाये गये तो उन्हें राज्य में कृत्रिम गर्भाधान सेवा जारी रखने की अनुमति का प्रमाण-पत्र दे सकता है।
- vii. पंजीकरण प्राधिकार आवेदक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लिखित में दर्ज कर पंजीकरण को स्वीकृत करने या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- viii. जब कभी वांछित हो पंजीकरण प्राधिकार निर्धारित मानक के अनुरूप निर्गत पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष में कम से कम एक बार विशेषज्ञों का एक दल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित किये गये शैक्षणिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के सुविधाओं की निरीक्षण के लिए भेज सकेगा।
- 13. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति।-**
यदि इस अधिनियम के अधीन निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र विरूपित हो जाय, खो जाय या नष्ट हो जाय तो पंजीकरण प्राधिकार, यदि संतुष्ट हो, तो आवेदक को एक हजार रुपये शुल्क का भुगतान करने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति स्वीकृत कर सकेगा।
- 14. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण।-**
यदि पंजीकरण प्राधिकार या तो इस निमित्त किए गए संदर्भ अथवा अन्यथा पर संतुष्ट हो जाये कि :-
(क) इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा स्वीकृत पंजीकरण प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है; अथवा
(ख) पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक युक्तिसंगत कारण के बिना उन शर्तों के अनुपालन में विफल रहा है जिसके अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया है, या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या अनुसूचियों में अधिकथित शर्तों का अनुपालन नहीं किया है,
(ग) पंजीकरण प्राधिकार किसी अन्य शास्त्र, जिसका प्रमाण-पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन भागी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा प्रमाण-पत्र धारक को कारण पृच्छा का अवसर देने के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत कर सकेगा।
- 15. अपील।-**
I. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या नवीनीकरण से इंकार किये जाने या पंजीकरण प्राधिकार द्वारा पंजीकरण के प्रतिसंहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपील कर सकेगा।
II. इस खंड के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाय।
III. अपील का निष्पादन लंबित रहने पर अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निदेश दे सकेगा कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या

नवीनीकरण से इंकार करने का आदेश या पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण या निलंबन आदेश तबतक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील निष्पादित न कर दी जाय।
पीएस. रोगों के प्रबंधन के बारे में अनुसूची, प्रपत्र तथा विवरण पंजीकरण प्राधिकारी से प्राप्त किए जाएंगे।

अध्याय-IV

अन्यान्य

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।—

- i. इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो एवं कठिनाई को दूर करने में आवश्यक प्रतीत हो :
- ii. इस धारा के तहत तैयार किया गया प्रत्येक आदेश, तैयार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

17. नीधि।—

पंजीकरण शुल्क, नवीकरण शुल्क या उल्लेखित उद्देश्यों के लिए किसी अन्य शुल्क के माध्यम से एकत्रित की गई राशि को चक्रकोष के रूप में रखा जाएगा और अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा तय किए गए पशु नस्ल सुधार संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

18. अनुसूचियाँ, प्रपत्र और अनुलग्नक में संशोधन करने हेतु सक्षम प्राधिकार।—

गोजातीय (या गोजातीय सहित) के अलावा अन्य पशुओं के लिए अनुसूचियाँ, प्रपत्र और अनुलग्नक, भारत सरकार/अपीलीय प्राधिकार/पंजीकरण प्राधिकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यकतानुसार जारी/अद्यतन किए जा सकते हैं।

19. अधिनियम के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ का मान्य होना।—

इस अधिनियम के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के बीच अस्पष्टता/विरोधाभास की दशा में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

फारम (प्रपत्र) – 'क'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला/सीमेन स्टेशन का पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. आवेदक के निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, स्वामी इत्यादि के नाम :
4. सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अवस्थिति :
5. प्रस्तावित/संस्थापित वार्षिक सीमेन/भ्रूण उत्पादन क्षमता (सीमेन हेतु लाख खुराक प्रतिवर्ष और भ्रूणों की संख्या प्रतिवर्ष) :
6. सीमेन संग्रह हेतु प्रस्तावित प्रजनन साँढ की सूची/भ्रूण उत्पादन (विहित प्रपत्र में) :
7. संलग्न व्यक्तियों की सूची एवं उनकी अर्हता :
8. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की पंजीकरण सं०, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सहित :
9. पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी० डी० (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी० डी० संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

मैं/हम एतद् द्वारा बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

पदनाम:

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ख'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

यह पंजीकरण व्यावसायिक परिसर प्रमुख और विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम और पता :-	पंजीकरण संख्या :-
सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अवस्थितिसे..... तक (दो वर्षों के लिए पंजीकरण वैध अथवा सक्षम अधिकार द्वारा लिया गया निर्णय)
<p>प्रमाणित साँढों/डोनर मादा पशु की सूची संलग्न बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।</p>	

स्थान :-

दिनांक:-

.....
(पंजीकरण प्राधिकार)

प्रपत्र 'ग'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण/ पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक का पूरा पता:
3. आवेदक के निदेशकों, स्वत्वधारियों, भागीदारों, स्वामियों इत्यादि के नाम:-
4. प्रस्तावित या विद्यमान संचालन क्षेत्र : जिलों के नाम :
5. आवेदक द्वारा लगाये गए कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की सूची (विहित प्रतिवेदन) : पी.एस. चूँकि कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन बार-बार कृत्रिम गर्भाधान कार्य से छुट्टी लेते हैं, अद्यतन सूची की अर्द्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जानी है।
6. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता की पंजीकरण संख्या, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सहित,
7. पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

एतद् द्वारा मैं/हम बिहार गोजातीय प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2022 के सभी प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र-'घ'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

यह पंजीकरण व्यावसायिक परिसर के प्रमुख और विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा	
नाम:-	पंजीकरण संख्या :-
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :- से (पाँच वर्षों तक पंजीकरण वैध)।
बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।	

स्थान:-

दिनांक :-

.....

(पंजीकरण प्राधिकार)

प्रपत्र- 'ड'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का पंजीकरण/ पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. आवेदक की शैक्षणिक अर्हता
4. प्रशिक्षण प्राप्त -संस्थान का नाम, अवधि, प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र :
5. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में अनुभव के वर्षों की संख्या
6. प्रस्तावित/ विद्यमान संचालन क्षेत्र :

राज्य : जिला : ग्राम का नाम :

7. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की पंजीकरण संख्या, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सहित,
8. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संसथान का नाम/ कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम
9. पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

एतद् द्वारा मैं/हम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

दिनांक :-

प्रपत्र- 'च'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करते समय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन इस पंजीकरण प्रमाण-पत्र को साथ में रखेंगे	
नाम :-	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम जिसे पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण संख्या -
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता से (पाँच वर्षों तक पंजीकरण वैध)
बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।	

स्थान :-

दिनांक :-

(कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता)

प्रपत्र- 'छ'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षण संस्थान का पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. आवेदक के निदेशकों, स्वत्वधारियों, भागीदारों, स्वामियों आदि के नाम :
4. आवेदक द्वारा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की सूची (विहित प्रतिवेदन) :
5. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की पंजीकरण संख्या, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण की प्रति सहित
6. पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्त रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

एतद् द्वारा मैं/हम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

(हस्ताक्षर)

प्रपत्र- 'ज'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षण संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

यह पंजीकरण व्यावसायिक परिसर के प्रमुख और विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा	
नाम:	पंजीकरण संख्या :
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता से (तीन वर्षों तक पंजीकरण वैध)
बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।	

स्थान :

दिनांक :

(पंजीकरण प्राधिकार)

प्रपत्र- 'झ'
सीमेन स्टेशन के लिए अर्द्धवार्षिक विवरणी

1. पंजीकरण संख्या :निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. सीमेन स्टेशन का नाम :
5. सीमेन स्टेशन का पता :
6. प्रतिवेदन की अवधि :
7. माह (अप्रैल-सितंबर)/(अक्टूबर-मार्च) :
8. सीमेन उत्पादन की वर्तमान क्षमता (लाख सीमेन खुराक) :
9. सीमेन संग्रह के तहत साँदों की संख्या :सीमेन संग्रह के अंतर्गत साँदों का विवरण :

क. सीमेन संग्रह के तहत प्रमाणित साँद

साँद की पहचान संख्या	नस्ल	उत्पादित खुराक

ख. प्रमाणन हेतु प्रस्तावित साँद

साँद की पहचान संख्या	नस्ल

ग. पशु झुंड क्षमता

	प्रारंभिक	अंतिम
नर		
संगरोध		
पालन-पोषण		
प्रशिक्षण		
संग्रह		
पृथक्करण		
मदा		

घ. पूरे पशु झुंड के लिए संचालित नैदानिक परीक्षणों के विवरण

बीमारी	परीक्षण किए गए जानवरों की संख्या	पॉजिटिव पाये गये पशुओं की संख्या	निपटान का विवरण
टी0बी0			
जे0डी0			
ब्रूसेल्लोसिस			
आई0बी0आर0			
कंपीलोबैक्टेरियोसिस			
ट्राइकोमोनिएसिस			

1. संगरोध सुविधा :-
क्या सीमेन स्टेशन के पास एक संगरोध स्टेशन है? हाँ/नहीं
संगरोध स्टेशन की क्षमता (साँदों की संख्या) :
2. पालन-पोषण की सुविधा :-
क्या सीमेन स्टेशन के पास पशुपालन स्टेशन है? हाँ/नहीं
पालन-पोषण स्टेशन की क्षमता (साँदों की संख्या) :

प्रपत्र- 'ज'
(प्रमाणन हेतु प्रस्तावित नये साँदों का विवरण)

1. सीमेन स्टेशन की पंजीकरण संख्या :निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. सीमेन स्टेशन का नाम :
5. सीमेन स्टेशन का पता :
6. प्रमाणन हेतु प्रस्तावित नये साँदों का विवरण :

क्रम संख्या	साँद की पहचान संख्या	आयु	नस्ल	अनुसूची II-ख(1) के अनुसार नाकारात्मक (हाँ/नहीं)	भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम उत्पादन मानकों को पूरा करना (हाँ/नहीं)

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

हस्ताक्षर :

प्रपत्र – 'ट'
कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता हेतु मासिक प्रतिवेदन

1. पंजीकरण संख्या : निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजी प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम :
5. प्रतिवेदन का माह :
6. सीमेन खुराक के स्रोत, उपयोग एवं भंडार :

सीमेन स्टेशन का नाम	नस्ल	खरीदी गयी खुराक की संख्या	निर्गत खुराक की संख्या	उपयोग किए गए खुराक की संख्या	भण्डारित खुराक की संख्या

7. कार्य क्षेत्र :- राज्य : जिला :
- राज्य : जिला :
8. कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की संख्या :
9. कार्य प्रदर्शन:

नया कृत्रिम गर्भाधान (प्रथम कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण)				कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण की कुल संख्या (प्रथम और दुबारा)				गर्भाधान प्रतिशत	
देशी गाय	संकर नस्ल	भैंस	कुल	देशी गाय	संकर नस्ल	भैंस	कुल	नया कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण	कुल

10. रखे गए पशु चिकित्सकों की संख्या :

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा रखे गए सभी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन गोजातीयों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हता और अनुभव के मापदंड को पूरा करते हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गयी सभी जानकारी सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

हस्ताक्षर :

प्रपत्र- 'ठ'

कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान हेतु अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन

1. पंजीकरण संख्या :, निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का नाम :
5. निबंधित पशु चिकित्सक का नाम जो प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी हैं :
6. संकाय के अन्य सदस्यों के नाम और योग्यता :
7. प्रतिवेदन की अवधि :
8. माह (अप्रैल-सितंबर/अक्टूबर-मार्च) महीना :
9. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की संख्या :
10. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की सूची :

क्रम0 संख्या	कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का नाम, जिन्हे प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।	स्थायी पता	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम जिसके साथ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पंजीकृत है

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा प्रशिक्षित सभी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा बोवाइन/कैप्रिन प्रजाति/स्वाइन/ अन्य में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने के लिए प्राधिकारी द्वारा यथाविहित व्यावहारिक प्रशिक्षण ले चुके हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

हस्ताक्षर :

प्रपत्र- 'ड'

कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से स्थानांतरण

1. पंजीकरण संख्या :, निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. वर्तमान में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम :
5. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम जिसके अंतर्गत तकनीशियन स्थानांतरित होना चाहता है:.....
.....
6. वर्तमान में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के अंतर्गत कार्य किए गए वर्षों की संख्या:.....
.....
7. स्थानांतरित शुल्क विवरण: राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

8. अन्य कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के पास जाने का कारण:.....
9. क्या उल्लेखित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित है:.....
.....

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य हैं।

स्थान :

स्थान :

दिनांक :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

(कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से,
गर्भाधान तकनीशियन वर्तमान
अपनी में काम कर रहा है।)

(कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से, कृत्रिम
जिसमें कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
सेवा स्थानांतरित करेगा)

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में पशुओं की उत्पादकता एवं अन्य विशेषताओं/लक्षणों में सुधार हेतु बिहार प्रजनन नीति के अनुसार पशुओं में प्रजनन के उपयोग सहित पशुओं में सीमेन और भ्रूण का उत्पादन, भंडारण, विक्रय और वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और उससे संबंधित मामलों के लिए पशुओं में प्रजनन संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाने का प्रस्ताव है।

राज्य में पशु प्रजनन विनियमन विधेयक के अधिनियमित होने से पशु प्रजनन से संबंधित घटक जैसे सीमेन स्टेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को एक निश्चित मानक के तहत पंजीकरण करते हुए बिहार प्रजनन नीति के दिशानिर्देश में काम करने हेतु विनियमित किया जा सकेगा एवं समयबद्ध मूल्यांकन किया जा सकेगा ताकि गुणवत्ता पूर्ण पशुधन का विकास हो सके।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

(रेणु देवी)

भार-साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक-23.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1276-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>